।। कार्यालय मानव तस्करी विरोधी यूनिट, जोधपुर पश्चिम।।

दिनांक 16.05.2023

–: प्रेस नोट :–

- भिक्षावृति के उन्मूलन हेतु विशेष अभियान ''उमंग–I'' के दौरान जोधपुर पश्चिम की एएचटीयू टीम द्वारा नाबालिग बच्ची से एक महिला द्वारा भिक्षावृति कराई पाई जाने पर महिला के विरूद्व थाना प्रतापनगर में मुकदमा दर्ज करवाया।
- 01 बच्ची को भिक्षावृति से मुक्त करवा कर बाल कल्याण समिति जोधपुर को किया सुपुर्द।

श्रीमान अति. महानिदेशक पुलिस (सिविल राईटस एंव ए.एच.टी) राज. जयपुर द्वारा भिक्षावृति की रोकथाम हेतु **विशेष अभियान उमंग–1** चलाया जाकर भिक्षावृति में लिप्त बच्चों की मुक्ति एवं भिक्षावृति करने वाले नाबालिग बच्चों की स्क्रीनिंग करने के विस्तृत दिशा–निर्देश प्रदान करने पर श्रीमान् गौरव यादव पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम के निर्देशन एवं श्रीमान् हरफुल सिंह, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम एवं श्रीमान् गोपाल सिंह अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नोडल अधिकारी (SIUCAW) के पर्यवेक्षण में श्री हुक्माराम पुलिस निरीक्षक, प्रभारी मानव तस्करी विरोधी यूनिट जोधपुर पश्चिम मय टीम कृष्णा हैड कानि. 04, महिपाल कानि. 862 द्वारा दिनांक 16.05.2023 को भिक्षावृति के उन्मूलन हेतु विशेष अभियान ''उमंग–I'' के तहत कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना प्रतापनगर के क्षैत्र में पहुचे जॅहा जूनाखेड़ा बालाजी मन्दिर के सामने एक महिला द्वारा नाबालिग बच्ची से भिक्षावृति करवाती हुई पाई जाने पर बच्ची को भिक्षावृति से मुक्त करवा कर बाल कल्याण समिति जोधपुर को उचित संरक्षण एवं पुर्नवास हेतु सुपुर्द किया गया तथा उक्त महिला के विरूद्व पुलिस थाना प्रतापनगर में धारा 76 जे.जे. एक्ट 2015 में मुकदमा दर्ज करवाया। उक्त विशेष अभियान के तहत निरन्तर कार्यवाही हेतु प्रयास जारी है।

प्रभारी,
मानव तस्करी विरोधी यूनिट,
जोधपुर पश्चिम।